

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : mdrmisc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmssc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/2837

दिनांक : 21/02/2024

आदेश

M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd., 1199/3, Bhud, Baddi, Distt. Solan (HP) से निविदा क्रमांक Tender F.02(304)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2020/1847 दिनांक 14.10.2020 के तहत औषधि Domperidone Oral Drops 10mg/ ML (10ml)[590] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 2336 दिनांक 18.10.2021, 2957 दिनांक 30.08.2022 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशों की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा जाँच कराये जाने पर औषधि के बैच (DPD-005, DPD-018) को Contents of Assay व Total aerobic count में अमानक कोटि का पाया गया तथा बैच (DPD-019) मानक कोटि का पाया गया। आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूने को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के बैच(DPD-005, DPD-019) के अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई तथा बैच (DPD-018) को मानक कोटि का पाया गया।

उक्त बैचों को Testing हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के बैच (DPD-005, DPD-018) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 25.01.2024 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने औषधि के दो बैच (DPD-005, DPD-018) को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd., 1199/3, Bhud, Baddi, Distt. Solan (HP) की औषधि Domperidone Oral Drops 10mg/ ML (10ml)[590] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

Signature valid

RajKaj Ref
5586762



Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2024.02.21 17:23:10 IST
Reason: Approval

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/2837 दिनांक : 21/02/2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/हिमाचल प्रदेश।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd., 1199/3, Bhud, Baddi, Distt. Solan (HP)
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

RajKaj Ref
5586762

Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2024.02.21 17:23:10 IST
Reason: Approved